

बिहार सरकार

फॉर्म-VII

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण-पत्र
कार्यालय का नाम: अंचल कार्यालय लौरिया

प्रमाण-पत्र सं.: BOBCCO/2022/275360

दिनांक: 29/08/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि रामभज्र कुमार भगत (Rambhaju Kumar Bhagat), पिता का नाम- लोटन भगत, माता का नाम- कुंती देवी, ग्राम/मोहला- बहुअरवा, पोस्ट- रामपरसौना, थाना- साठी, प्रखण्ड- लौरिया, अनुमंडल- नरकटियागंज, जिला- पश्चिम चम्पारण, राज्य बिहार के हिन्दू/मुस्लिम धर्म अन्तर्गत माली (मालाकार) जाति के सदस्य है, जिसे निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/68/93 बी.सी.सी. (सी.) दिनांक 10-9-1993 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-186, दिनांक 13-9-1993 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19-10-1994 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-183, दिनांक 20-10-1994 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/7/95 बी.सी.सी. दिनांक 24-5-1995 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-88, दिनांक 25-5-1995 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/86/94 बी.सी.सी. दिनांक 9-3-1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-60, दिनांक 10-3-1996 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/44/96 बी.सी.सी. दिनांक 6-12-1996 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-187, दिनांक 13-12-1996 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/89/94 बी.सी.सी. दिनांक 11-12-1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-236, दिनांक 12-12-1997 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/13/97 बी.सी.सी. दिनांक 3-12-1997 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-239, दिनांक 17-12-1997 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/68/98 बी.सी.सी. दिनांक 27-10-1998 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-241, दिनांक 27-10-1998 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/88/98 बी.सी.सी. दिनांक 6-12-1998 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-270, दिनांक 6-12-1998 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/36/99 बी.सी.सी. दिनांक 04-06-2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-71, दिनांक 04-06-2000 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/44/99 बी.सी.सी. दिनांक 21-09-2000 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-210, दिनांक 21-09-2000 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/09/2000 बी.सी.सी. दिनांक 06-12-2001 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-246, दिनांक 6-12-2001 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/1/2001 बी.सी.सी. दिनांक 19-06-2003 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-151, दिनांक 20-06-2003 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/4/2002 बी.सी.सी. दिनांक 13-01-2004 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-8, दिनांक 13-01-2004 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।
- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या- 12011/14/2004 बी.सी.सी. दिनांक 12-03-2007 को भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण गजट के भाग-1 खण्ड-1 संख्या-67, दिनांक 12-03-2007 के आलोक में प्रकाशित किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि रामभज्र कुमार भगत एवं इनके परिवार सामान्यतः ग्राम/मोहला- बहुअरवा, पोस्ट- रामपरसौना, थाना- साठी, प्रखण्ड- लौरिया, अनुमंडल- नरकटियागंज, जिला-पश्चिम चम्पारण राज्य बिहार के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993, स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 स्था. (आ.) दिनांक 9-3-2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/03/2004 स्था. (आ.) दिनांक 14-10-2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग "क्रीमी लेयर" के अन्तर्गत नहीं आते/आती हैं।

स्थान: लौरिया

दिनांक: 29/08/2022

Digitally signed by Shashi Ranjan
Date: 2022.08.29 12:07:33 +05:30

राजस्व अधिकारी, लौरिया



QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> फोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से की जा सकती है।
नोट: यह सेवा केवल DigiLocker पर भी उपलब्ध है।